

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

सरस्वती पब्लिक स्कूल शेखपुरा

पत्रांक/शि0 स0/

10477

/2006-07

दिनांक 18-12-06

विषय:- प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में-

महोदय,

राजाजा संख्या/984/15-06-09-10 (एस)(7) 89 दिनांक 28 अप्रैल, 90 एवं सचिव उ0प्र0 बे0शि0प0, इलाहाबाद के पत्र 0/बे0शि0प0/सा0-5/78-413/989-2000 दिनांक 16.04.99 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके आदेश पर जिला मान्यता समिति, मु0नगर की बैठक दिनांक 08-12-06 में लिये गये निर्णयानुसार सूच्य है कि आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता प्राप्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

1. मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से विद्यालय में समस्त अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित रख लिये जायें और अध्यापकों को निर्धारित वेतनक्रम दिया जाये।
2. अध्यापकों का वेतन का भुगतान बैंक में खुले खाते के माध्यम से किया जाये।
3. रुपये 1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये) विद्यालय प्रबन्धक के पदनाम जमा हो तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर के पदनाम बंधक हो।
4. समिति रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण यथासमय कराते रहें।
5. विद्यालय की दूसरी शाखा न खोली जाये।
6. विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम लागू रखा जाये।
7. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये।

यदि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता उसी समय समाप्त कर दी जायेगी। जिसका उत्तर दायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

मनोज कुमार मिश्र
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

दिनांक: उपरोक्त

पृ0 सं0/शि.स0

/2006-07

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर।
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी.....
3. नगर शिक्षा अधिकारी.....

भवदीय,

Principal
Saraswati Public School
Shekhupura Kandela (Shamli) 247776

Principal Singh
Manager
Saraswati Public School
Shekhupura (Shamli)
मनोज कुमार मिश्र
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ/सहारनपुर मण्डल।

सेवा में,

प्रबन्धक,

सरस्वती पब्लिक स्कूल

श्रीहृत्पुरा - मुजफ्फरनगर

पत्रांक : सं०: प्रबन्ध/ 1250-54 / 2009-10

दिनांक: 30.7.9

विषय:-जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 25.07.2009 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-917-18 एस (7) 89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध:-

- 1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
- 2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजएक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
- 3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
- 4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
- 5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कंपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
- 6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षाणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षाणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
- 7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
- 8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
- 10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

Saraswati Public School
Shrihrtipura (Ghaziabad)

Saraswati Public School
Shrihrtipura (Ghaziabad)

- 11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
- 12) विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।
- 13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
- 14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
- 15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20X25 की माप के कक्षों का निर्माण कराये।

भवदीय

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ / सहारनपुर मण्डल

पृ०सं० प्रबन्ध /

/2009.10

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। मुजफ्फरनगर
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी। मुजफ्फरनगर
5. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जौहरीघाट

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ / सहारनपुर मण्डल

Principal
Saraswati Public School
Shekhpura Kandela (Shamli) 247776

Manager
Saraswati Public School
Shekhpura (Shamli)